"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 350] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 10 अगस्त 2017— श्रावण 19, शक 1939

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 9 अगस्त, 2017 (श्रावण 18, 1939)

क्रमांक-8264/वि. स./विधान/2017 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 (क्रमांक 15 सन् 2017) को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 15 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक,2017

विषय–सूची

अध्याय—पांच

कारखाना अधिनियम, 1948 का संशोधन

अध्याय—छः

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का संशोधन

अध्याय—सात

अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 का संशोधन

अध्याय—आठ

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 का संशोधन

अध्याय—नौ

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 का संशोधन

अध्याय—दस

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का संशोधन

अध्याय—ग्यारह

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का संशोधन

अध्याय–बारह

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 का संशोधन

अध्याय–तेरह

कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन तथा विचारण का उपशमन

अध्याय–चौदह

विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियां प्रस्तुत किए जाने से छूट

अध्याय–पन्द्रह

प्रकीर्ण उपबंध

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 15 सन् 2017)

छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक,2017

(एक) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27);

(दो) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28);

(तीन) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37);

(चार) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63);

(पॉच) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14);

(छह) अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 का 30);

(सात) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27);

(आठ) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16);

(नौ) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25);

(दस) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11); तथा

(ग्यारह) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39);

को छत्तीसगढ़ राज्य में उनके लागू हुए रूप में और संशोधित करने तथा प्रकीर्ण उपबंध करने एवं उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक अन्य विषयों के लिये उपबंध करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय—एक

प्रारंभिक

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 2017, कहलायेगा। — संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

अध्याय—दो

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 का संशोधन

2\. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा –शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) (जो इस अध्याय में, इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 7 में, उप–धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्— — धारा 7 का संशोधन

"(3–क) यदि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से विहित कालावधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा स्थापना के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है, तो रजिस्ट्रीकरण सम्यक् रूप से कर दिया गया समझा जाएगा।"

3\. मूल अधिनियम की धारा 47 में,— — धारा 47 का संशोधन

(क) उप–धारा (1) में, शब्द "दो हजार रूपये तक का हो सकेगा" तथा "एक सौ रूपये" के स्थान पर कमशः शब्द "एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा" तथा "एक हजार

रूपये'' प्रतिस्थापित किया जाए;

(ख) उप–धारा (2) में,–

(एक) शब्द ''पाँच सौ रूपये से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो हजार रूपये तक का हो सकेगा'' के स्थान पर, शब्द ''पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो लाख रूपये तक का हो सकेगा'' प्रतिस्थापित किया जाए।

(दो) द्वितीय परंतुक में, शब्द ''पाँच सौ रूपये से कम की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा'' के स्थान पर, शब्द ''पचास हजार रूपये से कम की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा'' प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 48 का संशोधन

4. मूल अधिनियम की धारा 48 में, शब्द ''दो हजार रूपये तक का हो सकेगा'' के स्थान पर, शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा'' प्रतिस्थापित किया जाए।

धारा 49 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 49 में, –

(क) उप–धारा (1) में, शब्द ''एक हजार रूपये तक का हो सकेगा'' के स्थान पर, शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा'' प्रतिस्थापित किया जाए।

(ख) उप–धारा (2) में, शब्द ''एक हजार रूपये तक का हो सकेगा'' के स्थान पर, शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा'' प्रतिस्थापित किया जाए।

6. मूल अधिनियम की धारा 50 में, उप–धारा (1) में शब्द "एक हजार रूपये तक का हो सकेगा" तथा "एक सौ रूपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर, कमशः शब्द "एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा" तथा "दो हजार रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो एक हजार रूपये से कम नहीं होगा" प्रतिस्थापित किया जाये। — धारा 50 का संशोधन

अध्याय–तीन

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 का संशोधन

7. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) (जो इस अध्याय में, इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 3 में, उप–धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थातः– — धारा 3 का संशोधन

"(1–क) उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी कारखाने में प्रयुक्त किए जाने के उद्देश्य से संयंत्रों और मशीनरी के क्रय तथा परिवहन पर उपगत लागत और ऐसी अन्य लागतों को, जो कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी नियोजक द्वारा उपगत सन्निर्माण की लागत से अपवर्जित कर दिया जाएगा".

8. मूल अधिनियम की धारा 11 में, उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थातः– — धारा 11 का संशोधन

"(1) इस अधिनियम के अधीन बनाए गये नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 5 के अधीन किए गए किसी निर्धारण आदेश से या धारा 9 के अधीन किए गए शास्ति अधिरोपित करने वाले किसी आदेश से व्यथित कोई नियोजक, ऐसे अपीलीय प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति में, जैसा कि

राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, अपील कर सकेगा''.

धारा 12 का संशोधन 9. मूल अधिनियम की धारा 12 में,–

(क) उप–धारा (1) में, शब्द ''एक हजार रूपये तक का हो सकेगा'' के स्थान पर, शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा'' प्रतिस्थापित किया जाए; तथा

(ख) उप–धारा (2) में, शब्द ''जुर्माने से'' के पश्चात्, शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा'' अन्तःस्थापित जाए।

अध्याय–चार

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 का संशोधन

धारा 1 का संशोधन. 10. ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) (जो इस अध्याय में, इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 1 में, उप–धारा (4) में, शब्द ''बीस'' जहाँ कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द ''तीस'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 7 का संशोधन. 11. मूल अधिनियम की धारा 7 में, उप–धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''(3) उप–धारा (1) के अधीन सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति पर, यदि ऐसे आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से पन्द्रह दिनों की कालावधि के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने या उससे इंकार करने या मंजूर करने में आक्षेप या संशोधन करने का आदेश पारित करने में असफल रहता है, तो ऐसे स्थापन, जिसके संबंध में आवेदन

किया गया है, को सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया समझा जायेगा।''

12. मूल अधिनियम की धारा 13 में, उप–धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

धारा 13 का संशोधन.

''(4) उप–धारा (1) के अधीन सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति पर, यदि अनुज्ञापन अधिकारी, ऐसे आवेदन के प्रस्तुत किये जाने की तारीख से पन्द्रह दिनों की कालावधि के भीतर अनुज्ञप्ति देने या उससे इंकार करने या उसे मंजूर करने में आक्षेप करने या उसे नवीकृत करने या संशोधित करने का कोई आदेश पारित करने में असफल रहता है, तो ऐसे स्थापन, जिसके संबंध में ऐसा आवेदन किया गया है, के ठेकेदार को सम्यक् रूप से अनुज्ञप्ति दे दी गई समझी जायेगी।''

13. मूल अधिनियम की धारा 22 में, शब्द ''पॉच सौ रूपये तक का हो सकेगा'' जहाँ कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 22 का संशोधन.

14. मूल अधिनियम की धारा 23 में, शब्द ''एक हजार रूपये तक का हो सकेगा'' तथा ''एक सौ रूपये तक का हो सकेगा'' के स्थान पर, क्रमशः शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा'' तथा ''दो हजार रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो एक हजार रूपये से कम नहीं होगा'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 23 का संशोधन.

15. मूल अधिनियम की धारा 24 में, शब्द ''एक हजार रूपये तक का हो सकेगा'' के स्थान पर, शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 24 का संशोधन.

अध्याय–पांच

कारखाना अधिनियम, 1948 का संशोधन

धारा 2 का संशोधन.

16. कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) (जो इस अध्याय में, इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) में, धारा 2 में, खण्ड (ड) में,–

(क) उप–खण्ड (एक) में, शब्द "दस" के स्थान पर, शब्द "बीस" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(ख) उप–खण्ड (दो) में, शब्द "बीस" के स्थान पर, शब्द "चालीस" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 65 का संशोधन.

17. मूल अधिनियम की धारा 65 में,–

(क) उप–धारा (2) का लोप किया जाये; तथा

(ख) उप–धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(3) (क) धारा 51, 52, 54 और 56 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी वयस्क कर्मकार को, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अध्यधीन रहते हुये, किसी कारखाने में सप्ताह में 48 घण्टों से अधिक कार्य करने की अनुमति दी जा सकेगी, अर्थात्:–

(एक) किसी भी दिन कार्य के कुल घंटों की संख्या, बारह घंटों से अधिक नहीं होगी;

(दो) विश्राम अंतराल को मिलाकर, किसी एक दिन में विस्तार अवधि तेरह घंटों से अधिक नहीं होगी;

(तीन) अतिकाल को मिलाकर, किसी सप्ताह में

कार्य के कुल घंटों की संख्या साठ से अधिक नहीं होगी;

(चार) किसी कर्मकार को, एक समय में सात दिन से अधिक का अतिकाल करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा और किसी तिमाही में अतिकाल कार्य के कुल घंटों की संख्या, एक सौ पच्चीस से अधिक नहीं होगी;

(पांच) ऐसा अतिकाल कार्य, किसी कर्मकार के लिए अनिवार्य या बाध्यकर नहीं होगा।

(ख) अधिष्ठाता, कर्मकारों के काम के घंटों और अतिकाल कार्य की जानकारी ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाये, संधारित करेगा।

स्पष्टीकरण.– इस उप–धारा में, "तिमाही" का वही अर्थ होगा, जैसा कि धारा 64 की उप–धारा (4) में दिया गया है।"

धारा 66 का संशोधन.

18. मूल अधिनियम की धारा 66 में,–

(क) उप–धारा (1) में, खंड (ख) और परन्तुक का लोप किया जाये;

(ख) उप–धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(1–क) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उन महिलाओं, जिन्हें रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच किसी कारखाने अथवा विनिर्माण प्रक्रिया में कार्य करने

हेतु अपेक्षित या अनुज्ञात की जाती है, की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगी।''

धारा 79 का संशोधन.

19. मूल अधिनियम की धारा 79 में, उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

''(1) प्रत्येक कर्मकार, जिसने एक कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी कारखाने में 180 दिन या उससे अधिक की कालावधि तक कार्य किया है, को उसी कैलेंडर वर्ष के दौरान, एक कैलेंडर वर्ष में उसके द्वारा किये गये प्रत्येक बीस दिन के काम के लिए एक दिन की दर पर संगणित दिनों की संख्या हेतु मजदूरी सहित अवकाश लेने की अनुमति दी जायेगी;

स्पष्टीकरण 1.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिये,-

(क) करार या संविदा द्वारा अथवा स्थायी आदेशों के अधीन यथा अनुज्ञात कामबंदी के कोई दिन;

(ख) महिला कर्मकार की दशा में, छब्बीस सप्ताह से अनधिक दिनों की प्रसूति अवकाश; तथा

(ग) जिस वर्ष अवकाश का उपभोग किया जाता है उससे पूर्ववर्ती वर्ष में उपार्जित अवकाश,

को ऐसे दिन समझे जायेंगे, जिस पर कर्मकार ने 180 दिन या अधिक की कालावधि की संगणना के प्रयोजन के लिये कारखानों में काम किया है।''

अध्याय-छ:

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 का संशोधन

धारा 25च का

20. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) (जो इस

अध्याय में, इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) में, धारा 25च में,— संशोधन.

(क) खण्ड (क) में, शब्द "एक महीने की ऐसी लिखित सूचना" के स्थान पर, शब्द "तीन महीने की ऐसी लिखित सूचना" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"(ख) कर्मकार को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में ऐसा प्रतिकर दे दिया गया हो, जो निरंतर सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिये या छः मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए नब्बे दिन के औसत वेतन के बराबर हो:

परन्तु यह कि ऐसी छंटनी केवल नियोजक द्वारा छंटनी किये जाने वाले प्रत्येक कर्मकार के संबंध में प्रतिकर की राशि को राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किये जाने वाले प्राधिकारी के पास जमा करायी जाने के बाद ही लागू होगी और वह प्राधिकारी छंटनी किये गये कर्मकार के खाते में इस प्रकार जमा की गई राशि को तत्काल जमा करेगा:

परन्तु यह और कि नियोजक ऐसे प्रतिकर की राशि, प्राधिकारी को छंटनी की तारीख से कम से कम 30 दिवस पूर्व जमा करेगा।"

21. मूल अधिनियम की धारा 25ढ में, उप—धारा (9) में, शब्द "पन्द्रह दिन " के स्थान पर, शब्द "नब्बे दिन" प्रतिस्थापित — धारा 25ढ का संशोधन.

किया जाये।

धारा 25ण का संशोधन.

22. मूल अधिनियम की धारा 25ण में, उप–धारा (9) में, शब्द ''पन्द्रह दिन'' के स्थान पर, शब्द ''नब्बे दिन'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 25थ का संशोधन.

23. मूल अधिनियम की धारा 25थ में, शब्द तथा विरामचिन्ह ''एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से'' के स्थान पर, शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नही होगा या दोनों से'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 25द का संशोधन.

24. मूल अधिनियम की धारा 25द में,–

(क) उप–धारा (1) में, शब्द तथा विरामचिन्ह '''पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से'' के स्थान पर, शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा या दोनों से'' प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(ख) उप–धारा (2) में शब्द तथा विरामचिन्ह '''पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से'' तथा ''दो हजार रूपये'' के स्थान पर, क्रमशः शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा या दोनों से'' तथा ''दस हजार रूपये'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 25प का संशोधन.

25. मूल अधिनियम की धारा 25प में, शब्द ''एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनो से'' के स्थान पर, शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से

कम नही होगा या दोनो से'' प्रतिस्थापित किया जाये।

26. मूल अधिनियम की धारा 26 में,– धारा 26 का संशोधन.

(क) उप–धारा (1) में, शब्द तथा विरामचिन्ह '''पचास रूपये तक का हो सकेगा, या दोनो से'' के स्थान पर, शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नही होगा या दोनों से'' प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(ख) उप–धारा (2) में शब्द तथा विरामचिन्ह '''एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से'' के स्थान पर, शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नही होगा या दोनों से'' प्रतिस्थापित किया जाये।

27. मूल अधिनियम की धारा 27 में, शब्द तथा विरामचिन्ह ''एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से'' के स्थान पर, शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा या दोनों से'' प्रतिस्थापित किया जाये। धारा 27 का संशोधन.

28. मूल अधिनियम की धारा 28 में, शब्द तथा विरामचिन्ह ''एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से'' के स्थान पर, शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा या दोनों से'' प्रतिस्थापित किया जाये। धारा 28 का संशोधन.

29. मूल अधिनियम की धारा 29 में, शब्द तथा विरामचिन्ह ''जुर्माने से, या दोनों से'' तथा ''दो सौ रूपये'' के स्थान पर, क्रमशः शब्द ''एक लाख रूपये के जुर्माने से किन्तु जो पच्चीस हजार धारा 29 का संशोधन.

रूपये से कम नहीं होगा या दोनों से'' तथा ''पांच हजार रूपये'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 30 का संशोधन.

30. मूल अधिनियम की धारा 30 में, शब्द तथा विरामचिन्ह ''एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दौनों से'' के स्थान पर, शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा या दोनों से'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 30क का संशोधन.

31. मूल अधिनियम की धारा 30क में, शब्द तथा विरामचिन्ह ''पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से'' के स्थान पर, शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा या दोनों से'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 31 का संशोधन.

32. मूल अधिनियम की धारा 31 में,–

(क) उप–धारा (1) में, शब्द तथा विरामचिन्ह ''एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से'' के स्थान पर, शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा या दोनों से'' प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(ख) उप–धारा (2) में, शब्द '''एक सौ रूपये तक का हो सकेगा'' के स्थान पर, शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नही होगा'' प्रतिस्थापित किया जाये।

अध्याय–सात

अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्ते) अधिनियम, 1979 का संशोधन

33. अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 का 30) (जो इस अध्याय में, इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) में, धारा 4 में,– धारा 4 का संशोधन.

(क) उप–धारा (3) में, पूर्णविराम चिन्ह ".", के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(ख) उप–धारा (3) के नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"परन्तु यदि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी द्वारा उप–धारा (1) के अधीन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाता है, तो रजिस्ट्रीकरण, सम्यक् रूप से कर दिया गया समझा जायेगा।"

34. मूल अधिनियम की धारा 24 में, शब्द "दो हजार रूपये तक का हो सकेगा" जहां कहीं भी आये हों के स्थान पर, शब्द "एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा" प्रतिस्थापित किया जाये। धारा 24 का संशोधन.

35. मूल अधिनियम की धारा 25 में, शब्द "एक हजार रूपये तक का हो सकेगा" तथा "एक सौ रूपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर, क्रमशः शब्द "एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा" तथा "दो हजार रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो एक हजार रूपये से कम नहीं होगा" प्रतिस्थापित किया जाये। धारा 25 का संशोधन.

36. मूल अधिनियम की धारा 26 में, शब्द "दो हजार रूपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर, शब्द "एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा" धारा 26 का संशोधन.

प्रतिस्थापित किया जाये।

अध्याय–आठ

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 का संशोधन

धारा 3 का संशोधन. 37. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27) (जो इस अध्याय में, इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) में, धारा 3 में,–

(क) उप–धारा (2) में, पूर्णविराम चिन्ह "।", के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(ख) उप–धारा (2) के नीचे, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"परन्तु यदि विहित प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किये जाने की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है, तो रजिस्ट्रीकरण, सम्यक् रूप से कर दिया गया समझा जायेगा।"

धारा 29 का संशोधन. 38. मूल अधिनियम की धारा 29 में, शब्द "पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा" जहां कहीं आये हों के स्थान पर, शब्द "एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 30 का संशोधन. 39. मूल अधिनियम की धारा 30 में, शब्द "पचास रूपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर, शब्द "पांच हजार रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो एक हजार रूपये से कम नहीं होगा" प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 31 का संशोधन. 40. मूल अधिनियम की धारा 31 में, शब्द "पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा" और "पचहत्तर रूपये तक का हो सकेगा" के

स्थान पर, क्रमशः शब्द "एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा" तथा "एक हजार रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पांच सौ रूपये से कम नहीं होगा" प्रतिस्थापित किया जाये।

41. मूल अधिनियम की धारा 32 में, शब्द "पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर, शब्द "एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा" प्रतिस्थापित किया जाये। — धारा 32 का संशोधन.

42. मूल अधिनियम की धारा 33 में, शब्द "एक हजार रूपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर, शब्द "एक लाख पचास हजार रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पचास हजार रूपये से कम नहीं होगा" प्रतिस्थापित किया जाये। — धारा 33 का संशोधन.

अध्याय—नौ

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 का संशोधन

43. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16) (जो इस अध्याय में, इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) में, धारा 8 में,— — धारा 8 का संशोधन.

(क) पूर्णविराम चिन्ह "।", के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) धारा 8 से नीचे, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:—

"परन्तु व्यवसाय संघ के पंजीयन हेतु प्राप्त आवेदन का निराकरण, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिवस के भीतर किया जायेगा।"

44. मूल अधिनियम की धारा 31 में,— — धारा 31 का संशोधन.

(क) उप—धारा (1) में, शब्द "पांच रूपये" एवं "पचास रूपये"

के स्थान पर, क्रमशः शब्द ''एक हजार रूपये'' तथा ''दो हजार रूपये'' प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ख) उप–धारा (2) में, शब्द ''पांच सौ रूपये'' के स्थान पर, शब्द ''दो हजार रूपये'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 32 का संशोधन. 45. मूल अधिनियम की धारा 32 में, शब्द ''दो सौ रूपये'' के स्थान पर, शब्द ''दो हजार रूपये'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 32क का संशोधन. 46. मूल अधिनियम की धारा 32क में, शब्द ''पांच सौ रूपये'' के स्थान पर, शब्द ''दो हजार रूपये'' प्रतिस्थापित किया जाये।

अध्याय–दस

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 का संशोधन

धारा 10 का संशोधन. 47. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) (जो इस अध्याय में, इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) में, धारा 10 में,–

(क) उप–धारा (1) में, शब्द ''दस हजार रूपये तक का हो सकेगा'' के स्थान पर, शब्द ''एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा'' प्रतिस्थापित किया जाये;

(ख) उप–धारा (2) में, शब्द ''दस हजार'' एवं ''बीस हजार'' के स्थान पर, क्रमशः शब्द ''पचास हजार'' और ''एक लाख पचास हजार'' प्रतिस्थापित किया जाये; और

(ग) उप–धारा (3) में, शब्द ''पांच सौ'' के स्थान पर, शब्द ''पचास हजार'' प्रतिस्थापित किया जाये।

अध्याय–ग्यारह

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का संशोधन

48. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (1948 का 11) (जो इस अध्याय में, इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) में, धारा 22 में, शब्द "पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर, शब्द "एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो दस हजार रूपये से कम नहीं होगा" प्रतिस्थापित किया जाये। — धारा 22 का संशोधन.

49. मूल अधिनियम की धारा 22क में, शब्द "पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर, शब्द "एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो दस हजार रूपये से कम नहीं होगा" प्रतिस्थापित किया जाये। — धारा 22क का संशोधन.

अध्याय–बारह

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 का संशोधन

50. उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 (1972 का 39) (जो इस अध्याय में, इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है) में, धारा 9 में,– — धारा 9 का संशोधन.

(क) उप–धारा (1) में, शब्द "दस हजार रूपये तक का हो सकेगा" के स्थान पर, शब्द "एक लाख रूपये तक का हो सकेगा किन्तु जो पच्चीस हजार रूपये से कम नहीं होगा" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(ख) उप–धारा (2) में, शब्द "दस हजार रूपये" तथा "बीस हजार" के स्थान पर, क्रमशः शब्द "पचास हजार रूपये" तथा "एक लाख पचास हजार रूपये" प्रतिस्थापित किया जाये।

अध्याय–तेरह

कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन तथा विचारण का उपशमन

अपराधों का प्रशमन. 51. (1) निम्नलिखित अधिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अर्थात्:—

(एक) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25);

(दो) श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) अधिनियम, 1988 (1988 का 51);

(तीन) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11);

(चार) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4);

(पांच) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 (1976 का 11);

(छ:) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 (1996 का 27);

(सात) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37);

(आठ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14);

(नौ) अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30);

(दस) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27);

(ग्यारह) उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 (1972 का 39);

(बारह) मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 (1961 का 53);

(तेरह) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (1965 का 21);

राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी,—

(क) इन अधिनियमों के अधीन प्रथम बार या पूर्व के अपराध, (यदि कोई हो), के कारित किए जाने के दो वर्ष की कालावधि के पश्चात् कारित दण्डीय अपराध का, अभियोजन संस्थित किए जाने के या तो पूर्व या उसके पश्चात्, जुर्माने की अधिकतम राशि से अनधिक किंतु अपराध के लिए अधिकतम जुर्माने के आधे से अन्यून प्रशमन शुल्क की ऐसी राशि वसूल

कर, जैसा कि वह उचित समझे, प्रशमन कर सकेगा, अथवा

(ख) इन अधिनियमों के अधीन प्रथम बार कारित किए गए, जुर्माने तथा तीन मास तक के कारावास से दण्डनीय अपराध का, या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, एक मास तक के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए न्यूनतम रू. 10,000 के अध्यधीन रहते हुए अधिकतम जुर्माने की दस गुना के बराबर राशि, दो मास तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए रू. 20,000 अथवा तीन मास तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए रू. 30,000 की राशि वसूल कर, प्रशमन कर सकेगा.

(2) जब अपराध का,–

(एक) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व, इस प्रकार प्रशमन किया जाता है तो अपराधी, अभियोजन का दायी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में है, तो मुक्त कर दिया जाएगा; तथा

(दो) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात्, इस प्रकार प्रशमन किया जाता है तो ऐसे प्रशमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति होगी।

अध्याय–चौदह

विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियां प्रस्तुत किए जाने छूट

52. निम्नलिखित अधिनियमों के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अर्थात्:– छूट.

(एक) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37);

(दो) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25);

(तीन) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63);

(चार) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14);

(पांच) अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30);

(छः) श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने के कतिपय स्थापनाओं को छूट) अधिनियम, 1988 (1988

का 51);

(सात) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11);

(आठ) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27);

(नौ) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39);

(दस) मजदूरी संदाय अधिनिमय, 1936 (1936 का 4);

(ग्यारह) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 (1976 का 11);

(बारह) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16);

(तेरह) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45);

(चौदह) मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 (1961 का 53);

(पंद्रह) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (1965 का 21);

राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उक्त अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत विहित प्ररूपों के बदले में किसी नियोक्ता अथवा स्थापन द्वारा पंजियां तथा अभिलेख संधारित करने और विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप अधिसूचित कर सकेगीः

परंतु, राज्य सरकार, कम्प्यूटरीकृत अथवा डिजिटल प्ररूप में पंजियां और अभिलेख संधारित करने की अनुज्ञा दे सकेगी।

अध्याय--पंद्रह

प्रकीर्ण उपबंध

नियम बनाने की शक्ति.

53. (1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्तो के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे।

कठिनाईयों का निराकरण.

54. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में

प्रकाशित साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो:

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ होने से तीन वर्षो के अवसान के पश्चात्, इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

उद्देश्य और कारणों का कथन

यतः, श्रम विधानों का उद्देश्य राज्य में श्रमिकों के कार्य के वातावरण और उनके कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं कार्य करने की शर्तों का भारतीय संविधान के अंतर्गत यथा आज्ञापित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के आज्ञापत्र के अनुसार विनियमन करना है;

और यतः, भारत शासन ईज आफ डुइंग बिजनिस एण्ड मेक इन इंडिया पॉलिसी को दृष्टिगत रखते हुये, निम्नलिखित श्रम विधानों को संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है,–

(एक) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27);

(दो) भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28);

(तीन) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37);

(चार) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63);

(पांच) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14);

(छः) अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 का 30);

(सात) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27);

(आठ) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16);

(नौ) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25);

(दस) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11); तथा

(ग्यारह) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39)।

और यतः, ईज आफ डुइंग बिजनिस पॉलिसी को दृष्टिगत रखते हुये, उपरोक्त उल्लिखित अधिनियमों के निम्नलिखित उपबंधों को बनाना तथा उनका निगमन करना आवश्यक है,—

(क) ताकि अधिनियम 1996 का 27, 1970 का 37, 1979 का 30 तथा 1961 का 27 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन समझे जाने के लिये उपबंध करने हेतु तथा स्थापन एवं अनुज्ञप्ति के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके;

(ख) नियोजक द्वारा अधिरोपित निर्माण की लागत से कारखानों में उपयोग किये जाने के लिये आशयित संयंत्र तथा उपकरणों की खरीदी एवं परिवहन पर अधिरोपित लागत को अपवर्जित करने तथा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अधीन निर्धारण के आदेश के विरूद्ध अपील का उपबंध करने हेतु;

(ग) बीस श्रमिकों के स्थान पर तीस श्रमिकों हेतु ठेका श्रम अधिनियम के उपबंध तथा दस श्रमिकों के स्थान पर न्यूनतम बीस श्रमिकों के लिये कारखाना अधिनियम के उपबंध की प्रयोज्यता के शिथिलीकरण के लिये;

(घ) संशोधन उपबंध में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, कारखानों सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक में कार्य करने वाले अनुमत श्रमिकों तथा उन श्रमिकों को अवकाश सहित मजदूरी प्रदान करने, जिन्होंने कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन एक कैलेण्डर वर्ष में 180 दिनों की कालावधि तक कारखाने में कार्य किया है, के लिये उपबंध करने हेतु;

(ङ) उन महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु, जो कारखाने में रात्रि 8 बजे से प्रातः 6 बजे के बीच कार्य करने के लिये अपेक्षित हैं;

(च) एक माह के स्थान पर तीन महिने की नोटिस, क्षतिपूर्ति, इत्यादि सुनिश्चित करने के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत छंटनी की दशा में श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु;

(छ) उक्त अधिनियमों के उल्लंघन के लिये दाण्डिक उपबंधों में वृद्धि के साथ ही एक लाख पचास हजार रूपये के अधिकतम दण्डादेश द्वारा उपरोक्त उल्लिखित अधिनियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु;

(ज) उपरोक्त उल्लिखित अधिनियमों के अन्तर्गत अपराधों के प्रशमन के लिये उपबंध करने हेतु;

(झ) विविध पंजियों के संधारण तथा विविध विवरणियों की प्रस्तुति से छूट के लिये उपबंध करने हेतु;

(ञ) राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति तथा कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति प्रदान करने हेतु।

अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है।

भईयालाल राजवाड़े,
श्रम मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,
दिनांक 29 जुलाई, 2017

''संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित''

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

छत्तीसगढ़ श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक, 2017 के खण्ड 53 के उपखण्ड (1) में विधि निर्माण संबंधी राज्य सरकार को विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है, वह सामान्य स्वरूप का है । जिन श्रम विधियों में नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है, का विवरण निम्नानुसार है –

(एक) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27)

(दो) भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28)

(तीन) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम , 1970 (1970 का 37)

(चार) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63)

(पांच) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)

(छः) अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979 (1979 का 30)

(सात) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27)

(आठ) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16)

(नौ) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25)

(दस) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11)

(ग्यारह) उपादान संदाय अधिनियम 1972 (1972 का 39)

उपाबंध

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा –शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27)

मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3)	उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन के प्राप्त होने के पश्चात, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी स्थापन को रजिस्टर करेगा और उसके नियोजक को ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जो विहित किये जाएं रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।
मूल अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (1)	जो कोई धारा 40 के अधीन बनाये गये किन्ही नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो **दो हजार रूपये तक का हो सकेगा,** या दोनों से और किसी उल्लंघन के जारी रहने की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन, ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिये दोषसिद्धि के पश्चात जारी रहता है, **एक सौ रूपये** तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (2)	यदि कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है, उसी उपबंध के उल्लंघन या उसके अनुपालन की असफलता को अंतर्वलित करने वाले किसी अपराध के लिये पुनः दोषी पाया जाता है तो वह पश्चातवर्ती दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो **पॉच सौ रूपये से कम नहीं होगा किंतु दो हजार रूपये तक का हो सकेगा** या दोनों से दण्डनीय होगाः परंतु इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये उस अपराध के जिसके लिये उक्त व्यक्ति को तत्पश्चात दोषसिद्ध किया गया है, किये जाने के पूर्व दो वर्ष से अधिक की किसी दोषसिद्धि का संज्ञान नहीं किया जायेगाः ? परंतु यह और कि यदि शास्ति अधिरोपित करने वाले प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के लिये असाधारण परिस्थितियां मौजूद हैं तो वह उसके लिये जो कारण है उन्हे लेखबद्ध करने के पश्चात **पॉच सौ रूपये से कम की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।**
मूल अधिनियम की धारा 48	जहॉ कोई नियोजक धारा 46 के अधीन भवन या अन्य सन्निर्माण कार्य के प्रारंभ की सूचना देने में असफल रहेगा वहॉ वह कारावास से जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो **दो हजार रूपये तक का हो सकेगा** या दोनों से दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (1)	जो कोई, किसी निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा या निरीक्षक को किसी स्थापन के संबध में इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत किसी निरीक्षण, परीक्षा, जॉच या अन्वेषण करने में कोई युक्तियुक्त सुविधा देने से इंकार करेगा या जानबूझ कर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो **एक हजार रूपये तक का हो सकेगा** या दोनों से दण्डनीय होगा।

मूल अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (2)	जो कोई, किसी निरीक्षक द्वारा मॉग किये जाने पर इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गये किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को पेश करने से जानबूझ कर इंकार करेगा अथव निवारित करेगा या निवारित करने का प्रयास करेगा अथवा कोई ऐसी बात करेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उससे किसी व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के अनुसरण में कार्य करने वाल किसी निरीक्षक के समक्ष उपसंजात होने से, या उसके द्वारा परीक्षा किये जाने से निवारित किये जाने की संभावना है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो **एक हजार रूपये तक का हो सकेगा**, या दोनों से दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1)	जो कोई, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का या इसके अधीन बनाये गये किन्ही नियमों का उल्लंघन करेगा अथवा जो इस अधिनिथम के किसी अन्य उपबंध का या इसके अधीन बनाये गये किन्ही नियमों का अनुपालन करने में असफल रहेगा वह जहॉ कोई अभिव्यक्त शास्ति ऐसे उल्लंघन या असफलता के लिये अन्यत्र उपबंधित नहीं की गयी है, यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक उल्लंघन या असफलता के लिये जुर्माने से जो **एक हजार रूपये तक का हो सकेगा**, और यथा स्थिति जारी रहने वाले उल्लंघन या असफलता की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन या असफलता ऐसे प्रथम उल्लंघन या असफलता के लिये दोषसिद्धि के पश्चात जारी रहती है **एक सौ रूपये तक का हो सकेगा**, दण्डनीय होगा।

उपाबंध

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28)

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1)	भवन व अन्य निर्माण कार्य कर्मचारी (रोजगार का विनियमन व सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1996 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपकर उद्ग्रहित व संग्रहित किया जाएगा तथा इसे ऐसी दर जो कि भवन निर्माण की लागत की एक प्रतिशत से कम नहीं व अधिकतम 2 प्रतिशत तक की दर तक से नियोक्ता से जैसा कि केन्द्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर समय–समय पर निर्दिष्ट करे।
मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1)	धारा 5 के अधीन किये गये निर्धारण के किसी आदेश से या धारा 9 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिये, किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई नियोजक ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाये ऐसे अपील प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से अपील कर सकेगा जो विहित की जाए।
मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1)	जो कोई इस अधिनियम के अधीन कोई विवरणी देने की बाध्यता के अधीन होते हुए कोई ऐसी विवरणी देगा जिसके बारे में वह जानता है या उसके पास विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है वह कारावास से जिसके अवधि छः माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो **एक हजार रूपये तक का हो सकेगा** या दोनों से दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2)	जो कोई इस अधिनियम के अधीन उपकर का संदाय का दायी होते हुये ऐसे उपकर के संदाय का जानबूझ कर या शासय अपवंचन करेगा या अपवंचन करने का प्रयत्न करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा।

उपाबंध

ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37)

मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4)	(क) ऐसे प्रत्येक स्थापन को लागू होता है जिसमें **बीस** या इससे अधिक कर्मकार ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह माहों के किसी भी दिन नियोजित थे (ख) ऐसे प्रत्येक ठेकेदार को लागू होता है जिसमें **बीस** या इससे अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या जिसने पूर्ववर्ती बारह माहों के किसी भी दिन या इससे अधिक कर्मकार नियोजित किए थे परन्तु समुचित सरकार, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम दो मास की सूचना देने के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबंध, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे किसी भी स्थापन या ठेकेदार को लागू कर सकेगी जो **बीस** से कम उतने कर्मचारियों को नियोजित करता है जितने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।
मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2)	यदि रजिस्ट्रीकरण का आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है तो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी उस स्थापन की रजिस्ट्री करेगा और स्थापन के प्रधान नियोजक को रजिस्ट्रीकरण का एक प्रमाण–पत्र देगा जिसमें ऐसे विशिष्टियाँ होंगी जो विहित की जाए।
मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3)	इस अध्याय के अधीन प्रदान की गई अनुज्ञप्ति उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अन्वेषण कर सकेगा और उसका समय–समय पर नवीकरण ऐसी अवधि के लिए और ऐसी फीस देने पर तथा ऐसी शर्तों पर किया जा सकेगा जो विहित की जाएँ।
मूल अधिनियम की धारा 22	बाधाएँ – (1) जो कोई किसी निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन उसक कर्त्तव्यों के निर्वहन पहुँचाएगा या ऐसे किसी स्थापन या ठेकेदार के संबंध में, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, कोई निरीक्षण, परीक्षा, जांच या अन्वेषण, जो इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्राधिकृत है, करने के लिए निरीक्षक को उचित सुविधा देने से इंकार या देने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो **पॉच सौ रूपए तक का हो सकेगा**, या दोनों से दण्डनीय होगा। (2) जो कोई इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गए किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को किसी निरीक्षक की मांग पर पेश करने से जानबूझकर इन्कार करेगा या इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के अनुसरण में कार्य करने वाले किसी निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होने या निरीक्षक द्वारा परीक्षा की जाने से किसी व्यक्ति को निवारित करेगा या निवारित करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा कोई कार्य करेगा जिसक बोर में यह विश्वास करने का कारण रखता है कि उससे किसी व्यक्ति को ऐसे निवारित करना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो **पॉच सौ रूपए तक का हो सकेगा**, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

मूल अधिनियम की धारा 23	ठेका श्रमिकों के नियोजन से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन :– जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी ऐसे उपबंध करेगा, जो ठेका श्रमिकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध, निर्बंधित या विनियमित करता है, या इस अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो **एक हजार रूपए तक का हो सकेगा**, या दोनों से, दण्डनीय होगा, और उल्लंघन जारी रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने, जो ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे हर दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, **एक सौ रूपए तक का हो सकेगा**, दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 24	अन्य अपराध – यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी ऐसे उपबंध का उल्लंघन करेगा जिसके लिए अन्यत्र कोई अन्य शास्ति उपबंधित नहीं है तो कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो **एक हजार रूपए तक का हो सकेगा**, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

उपाबंध

कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63)

मूल अधिनियम की धारा 2 की खण्ड (ड) की उपखण्ड (एक)	**दस** या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती मास के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता से की जा रही है या सामान्यतया इस तरह की जाती है, या
मूल अधिनियम की धारा 2 की खण्ड (ड) की उपखण्ड (दो)	**बीस** या अधिक कर्मकार काम कर रहे हैं या पूर्ववर्ती मास के किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विनिर्माण प्रक्रिया शक्ति की सहायता के बिना की जा रही है या सामान्यतया ऐसे की जाती है।
मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (2)	राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन मुख्य निरीक्षक किसी कारखाने या किसी समूह या वर्ग प्रकार के कारखानों में के सब या किन्हीं वयस्क कर्मकारों को धारा 51, 52, 54 और 56 के सब या किन्हीं उपबंधों से ऐसी शर्तो के अध्यधीन, जैसी वह समीचीन समझे, लिखित आदेश द्वारा छूट इस आधार पर दे सकता है कि उस कारखाने या उन कारखानों को काम के किसी असाधारण दबाव का सामान करने के समर्थ बनाने के लिए ऐसी छूट देना आवश्यक है।
मूल अधिनियम की धारा 65 की उपधारा (3)	उपधारा (2) के अधीन दी गई छूट निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगी, अर्थात् :– (i) किसी दिन काम के घण्टों की कुल संख्या बारह से अधिक नहीं होगी; (ii) विश्राम के लिए अन्तरालों सहित विस्तृति किसी एक दिन तेरह घण्टों से अधिक नहीं होगी ; (iii) किसी सप्ताह में, जिसके अन्तर्गत अतिकाल भी है, काम के घण्टों की कुल संख्या साठ से अधिक नहीं होगी ; (iv) किसी भी कर्मकार को किसी भी समय सात दिन से अधिक अतिकाल काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और एक तिमाही में अतिकाल काम करने के घण्टों की कुल संख्या पचहत्तर से अधिक नहीं होगी। **स्पष्टीकरण** – उपधारा (3) में "तिमाही" का वही अर्थ है जो धारा 64 की उपधारा (4) में है।
मूल अधिनियम की धारा 66 की उपधारा (1)	इस अध्याय के उपबंध क़ारखानों में स्त्रियों को लागू होने के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त निर्बंधन भी लागू होंगे, अर्थात– (क) किसी स्त्री के बारे में धारा 54 में के उपबंधों से कोई छूट नहीं दी जायेगी, (ख) किसी कारखाने में कोई स्त्री 6 बजे प्रातः और 7 बजे सायं के बीच के घण्टों के सिवाय (काम करने के लिए अपेक्षित नहीं की जाएगी या काम करने के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी। परन्तु राज्य सरकार (किसी कारखाने या कारखानों के समूह या वर्ग या प्रकार के कारखानों) के बारे में खण्ड (ख) में अधिकथित सीमाओं में फेरफार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकती है किन्तु इस प्रकार की ऐसी

	फेरफार दस बजे सायं और पांच. बजे प्रातः के बीच के घण्टों में किसी भी स्त्री के नियोजन को प्राधिकृत न करे। (ग) कोई पारी किसी साप्ताहिक अवकाश दिन या किसी अन्य अवकाश के दिन के पश्चात् बदलने के सिवाय नहीं बदली जायेगी।
मूल अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1)	प्रत्येक कर्मकार को , जिसने किसी कलेण्डर वर्ष के दौरान किसी कारखने में 240 या अधिक दिन की कालावधि के लिए काम किया है, निम्नलिखित दर से परिकलित दिन के लिए मजदूरी सहित छुट्टी पश्चात्वर्ती कैलेण्डर वर्ष के दौरान अनुज्ञात की जाएगी—— (i) यदि वह वयस्क है तो पूर्ववर्ती कलैण्डर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए काम के प्रत्येक बीस दिन के लिए एक दिन; (ii) यदि वह बालक है तो पूर्ववी कलैण्डर वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए काम के प्रत्येक पंद्रह दिन के लिए एक दिन। स्पष्टीकरण– (1)——उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए :– (क) करार या संविदा द्वारा या स्थायी आदेशों के अधीन यथानुज्ञात कामबन्दी के कोई दिन; (ख) स्त्री कर्मकार की दशा में, बारह सप्ताह से अनधिक के लिए प्रसूति–छुट्टी के कोई दिन; और (ग) जिस वर्ष छुट्टी का उपभोग किया जाता है, उसके पूर्ववर्ती वर्ष में उपार्जित छुट्टी, 240 दिन या अधिक दिनों की कालावधि की संगणना के प्रयोजन के लिए ऐसे दिन समझे जाएंगे जिनमें कर्मकार ने कारखाने में काम किया है, किन्तु इन दिनों के लिए वह छुट्टी उपर्जित नहीं करेगा। **स्पष्टीकरण**– (2)——उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञेय छुट्टी उन सब अवकाश दिनों को, जो चाहे छुट्टी की कालवधि के दौरान या उसके प्रारंभ अथवा अन्त में हो अपवर्जित करके होगी।

उपाबंध

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)

मूल अधिनियम की धारा 25 च की खण्ड (क)	कर्मकारों को **एक महीने की ऐसी लिखित सूचना** दे दी गई हो जिसमें छंटनी के कारण उपर्दिशत किए गए हों और सूचना की कालावधि का अवसान हो गया हो, या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी दे दी गई हो।
मूल अधिनियम की धारा 25 च की खण्ड (ख)	कर्मकार की छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर दे दिया गया हो जो (निरन्तर सेवा के हर संपूरित वर्ष के लिए) या छंह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर हो, तथा
मूल अधिनियम की धारा 25 ढ की उपधारा (9)	जहां उपधारा (3) के अधीन, छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई है या जहां छंटनी की अनुज्ञा उपधारा (4) के अधीन छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाती है, वहां ऐसा प्रत्येक कर्मकार जो इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए किए गए, आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक कर्मकार, छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो निरंतर सेवा के हर सम्पूरित वर्ष के या उसके ऐसे भाग के जो छह मास से अधिक हो, **पन्द्रह दिन** के औसत वेतन के बराबर होगा।
मूल अधिनियम की धारा 25 ण की उपधारा (9)	जहां उपधारा (3) के अधीन किसी उपक्रम के बंद कर दिए जाने के लिए अनुज्ञा दी जाती है या जहां उपधारा (4) के अधीन बन्द कर दिए जाने के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाती है, वहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व उस उपक्रम में नियोजित प्रत्येक कर्मकार प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो निरन्तर सेवा के हर पूर्ण वर्ष या छः माह के अधिक के उसके किसी भाग के लिए **पन्द्रह दिन** के औसत वेतन के बराबर होगा।
मूल अधिनियम की धारा 25 थ	जो नियोजक, 25 ङ के या धारा 25 ढ, के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो **एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से**, दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 25 द की उपधारा (1)	जो नियोजक किसी उपक्रम को उपधारा 25 ण की उपधारा (1) के अनुबंधों का अनुपालन किए बिना बन्द करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो **पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से**, दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 25 द की उपधारा (2)	जो नियोजक धारा 23 ण की उपधारा (2) के अधीन किसी उपक्रम को बन्द करने की अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले किसी आदेश या धारा 25 त के अधीन दिए गए किसी निर्देश का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से **पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से**, और जहां उल्लंघन जारी रहता है वहां अतिरिक्त जुर्माने से जो दोषसिद्धि, के पश्चात् से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है, **दो हजार रूपए** तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

मूल अधिनियम की धारा 25 प	कोई व्यक्ति, जो अनुचित श्रम व्यवहार करेगा, कारावास से जो छः माह तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो **एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,** दंडनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1)	जो कर्मकार, ऐसी हड़ताल, जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, प्रारंभ करेगा, चालू रखेगा या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो **पचास रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,** दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2)	जो नियोजक ऐसी तालाबन्दी, जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, प्रारंभ करेगा, चालू रखेगा या उसें अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो **एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,** दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 27	जो व्यक्ति, ऐसी हड़ताल या तालाबन्दी में, जो इस अधिनियम के अधीन अवैध है, भाग लेने के लिए दूसरों को उकसाएगा या उद्दीप्त करेगा या, उसे अग्रसर करने में अन्यथा कोई कार्य करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो **एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से** दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 28	जो व्यक्ति किसी अवैध हड़ताल या तालाबन्दी को प्रत्यक्षतः अग्रसर करने में या उसके समर्थन में जानते हुए धन का व्यय या उपयोजन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो **एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से,** दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 29	जो व्यक्ति, किसी ऐसे समझौते या अधिनिर्णय के, जो इस अधिनियम के अधीन उस पर आबद्धकर हो, किसी निबंधन का भंग करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या **जुर्माने से,या दोनों से,** और जहां कि भंग चालू रहने वाला भंग हो वहां अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम भंग के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् के हर दिन के लिए जिसके दौरान भंग चालू रहता है, **दो सौ रूपए** तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और यदि अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय अपराधी पर जुर्माना करे तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि उससे प्राप्त कुल जुर्माना या उसका कोई भाग ऐसे व्यक्ति को, जिसे उसकी राय में ऐसे भंग से क्षति हुई है, प्रतिकर रूप में दिया जाएगा।
मूल अधिनियम की धारा 30	जो व्यक्ति धारा 21 में निर्दिष्ट जानकारी को उस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में जानबूझकर प्रकट करेगा, वह उस व्यवसाय संघ या व्यष्टिक कारोबार या उसकी ओर से, जिस पर प्रभाव पड़ा हो; किए गए परिवाद पर कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो **एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनों से**, दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 30 क	कोई नियोजक जो धारा 25 चचक के उपबंधों के उल्लंघन में जानबूझकर प्रकट करेगा, वह उस व्यवसाय संघ या व्यष्टिक कारोबार या उसकी ओर से, जिस पर प्रभाव पड़ा हो, किए गए परिवाद पर कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो **पांच हजार रूपए तक का हो सकेगा**, या दोनों **से,** दण्डनीय होगा।

मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1)	जो नियोजक धारा 33 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो **एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, या दोनो से**, दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2)	जो कोई इस अधिनियम के तद्धीन बनाए गए किसी नियम के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा, वह, यदि ऐसे उल्लंघन के लिए इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन कोई अन्य शास्ति अन्यत्र उपबंधित नहीं की गई है, जुर्माने से, जो **एक सौ रूपए तक का हो सकेगा**, दण्डनीय होगा।

उपाबंध

अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30)

मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3)	जहां उपधारा (1) के अधीन स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की प्राप्ति के पश्चात् एक माह की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी उपधारा (2) के खण्ड (क) के अधीन आवेदित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त नही करता है और उस उपधारा के खंड (ख) के अधीन आवेदन को नही लौटाता है, जहां रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी प्रधान नियोजक से इस निमित आवेदन की प्राप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर स्थापन रजिस्टर करेगा और प्रधान नियोजक रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र विहित प्ररूप में देगा।
मूल अधिनियम की धारा 24	बाधा डालना – (1) जो कोई निरीक्षक को या धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति को (जिसे इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों के निवेदन में बाधा पहुंचाना या किसी ऐसे स्थापन या ठेकेदार के संबंध में, जिसे यह अधिनियम लागू है, कोई निरीक्षण, परीक्षण, जॉच या अन्वेषण, जो इस अधिनियम द्वारा पाई कि अधीन प्राधिकृत है, करने के लिए निरीक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति को उचित सुविधा देने से इनकार करेगा या ऐसा करने में जानबुझकर उपेक्षा करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो जायेगी, या जुर्माने से, जो **दो हजार रूपए तक का हो सकेगा**, या दोनों में दण्डनीय होगा। (2) जो कोई इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गए किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेजों को किसी निरीक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति की मांग पर प्रस्तुत करने में जानबूझकर इन्कार करेगा या इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के अनुसरण में कार्य करने वाले किसी निरीक्षण या प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष उपस्थित हाने या उसके द्वारा परीक्षा दिए जाने से किसी व्यक्ति को निवारित करेगा या निवारित करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा कोई कार्य करेगा जिनके बारे में उसके समक्ष यह विश्वास करने का कारण को कि उनमे किसी व्यक्ति को ऐसे निवारित करना संभाव्य है यह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो या जुर्माने से जो **दो हजार रूपए तक का हो सकेगा** या दोनों दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 25	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार के नियोजन से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन – जो कोई अधिनियम के या इसके अधीन बनाए गए ऐसे किन्हीं नियमों के जिन पर उपबंधों का उल्लंघन करेगा जो अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार के नियोगन को विनियमित करते है या इस अधिनियम के अधीन किसी अनुज्ञप्ति को किसी शर्त का उल्लंघन करेगा यह कारावास में जिनकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने में जो **एक हजार रूपए तक का हो सकेगा**, या दोनो से दण्डनीय होगा ओर उल्लंघन जारी रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रबंध से उल्लंघन कि लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे पहले छः दिन के लिए जिनके दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहता है, **एक सौ रूपए तक का हो सकेगा,** दण्डनीय होगा।

मूल अधिनियम की धारा 26	अन्य अपराध – यदि कोई व्यकित इस अधिनियम के या इनके अधीन बनाए गए ऐसे किन्हीं नियमों के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करेगा, जिनके लिए कोई अन्य शास्ति उपबंधित नहीं है तो वह कारावास से जिसकी अवधी दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जूर्माने से, जो **दो हजार रूपए तक का हो सकेगा,** या दोनों में दण्डनीय होगा।

उपाबंध

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27)

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2)	मोटर परिवहन उपक्रम के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, नियोजक द्वारा विहित प्राधिकारी से ऐसे प्ररूप में ओर ऐसे समय के भीतर किया जाएगा; जो विहित किया जाए।
मूल अधिनियम की धारा 29	बाधा डालना – (1) जो कोई किसी निरीक्षक के उसके इस अधिनियम के अधीन के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा या किसी मोटर परिवहन उपक्रम के संबंध में इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्राधिकृत कोई निरीक्षण, परीक्षा या जांच करने के लिए निरीक्षक को युक्तियुक्त सुविधा देने से इंकार करेगा या देने में जानबुझकर उपेक्षा करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो **पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा**, या दोनों से, दण्डनीय होगा। (2) जो कोई इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गए किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को निरीक्षक द्वारा मांगे जाने पर पेश करने से जानबुझकर इंकार करेगा या किसी ऐसे निरीक्षक के, जो इस अधिनियम के अधीन के अपने कर्तव्यों के अनुसरण में कार्य कर रहा है, समक्ष उपसंजात होने से, या उसके द्वारा परीक्षा की जाने से किसी व्यक्ति को निवारित करेगा या करने का प्रयत्न करेगा या कोई ऐसी बात करेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि उससे उसका इस प्रकार निवारित होना संभाव्य है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्मानें से, जो **पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा**, या दोनेां से दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 30	**योग्यता के मिथ्या प्रमाणपत्र का उपयोग –** जो कोई धारा 23 के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को अनुदत्त किसी योग्यता प्रमाणपत्र का, अपने को इस धारा के अधीन अनुदत्त प्रमाणपत्र के रूप में जानते हुए उपयोग करेगा या उपयोग करने का प्रयत्न करेगा, अथवा ऐसा योग्यता प्रमाणपत्र अपने को अनुदत्त किए जाने पर जानते हुए उनका अन्य व्यक्ति को उपयोग करने देगा, या करने का प्रयत्न करने देगा, वह कारावास से, जो एक मास तक हो सकेगा, या जुर्माने से, जो **पचास रूपए तक हो सकेगा**, या दोनों से, दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 31	**मोटर परिवहन कर्मकारों के नियोजन के बारे में उपबंधों का उल्लंघन –** जो कोई, उसके सिवाय जैसा कि अधिनियम द्वारा या के अधीन अन्यथा अनुज्ञात है, इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किसी ऐसे उपबंध का उल्लंघन करेगा जो मोटर परिवहन उपक्रम में व्यक्तियों के नियोजन को प्रतिषिद्धि, निर्बधित या विनियमित करता हो, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो **पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा**, या दोनो से दण्डनीय होगा और चालू रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से जो हर ऐसे दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन ऐसे प्रथम उल्लंघन के लिए दोषसिद्ध के पश्चात् चालू रहे **पचहत्तर रूपए तक का हो सकेगा**, दण्डणीय होगा।

मूल अधिनियम की धारा 32	अन्य अपराध – जो कोई किसी ऐसे निर्देश की, जो ऐसा निर्देश देने के लिए इस अधिनियम के अधीन सशक्त किए गए किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा विधिपूर्वक दिया गया हो, जानबूझकर अवज्ञा करेगा या इस अधिनियम के तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबंधों में से किसी का, जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अन्यत्र कोई शास्ति उपबंधित न हो उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो **पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा,** या दोनों से दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 33	**पूर्व दोषसिद्धि के पश्चात् वर्धित शास्ति** – यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हो चुका हो, पुनः उसी उपबंध का उल्लंघन अंतर्वलित करने वाले किसी अपराध का दोषी होगा तो वह पश्चात्वर्ती दोषसिद्ध पर कारवास से जो छह माह तक का हो सकेगा या जुर्माने से हो **एक हजार रूपए तक का हो सकेगा**, या दोनों से दण्डनीय होगा : परन्तु जिस अपराध के लिए दंड दिया जा रहा हो उसके किए जाने से दो वर्ष से अधिक पूर्व की गई दोषसिद्ध का इस धारा के प्रयोजनार्थ संज्ञान नहीं किया जाएगा।

उपाबंध

व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16)

मूल अधिनियम की धारा 8	अपना यह समाधान हो जाने पर कि व्यवसाय संघ ने रजिस्ट्रीकरण के बारे में इस अधिनियम की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया है रजिस्ट्रार उस व्यवासाय संघ को उस रजिस्टर में, जिसे ऐसे प्ररूप में रखा जाएगा जो विहित किया जाए, व्यवसाय संघ से संबद्ध ऐसी विशिष्टियां प्रविष्ट करके रजिस्ट्रीकृत करेगा, जो राजिस्ट्रीकरण के आवेदन के साथ दिए गए कथन में अन्तर्विष्ट हों।
मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1)	यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध के द्वारा या अधीन यथापेक्षित कोई सूचना देने या कोई विवरण या अन्य दस्तावेजों भेजने में किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की ओर से कोई व्यक्तिक्रम होगा तो हर (पदाधिकारी) या व्यक्ति नहीं है तो व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का हर सदस्य जुर्माने से जो पांच रूपए तक का हो सकेगा और चालू रहने वाले व्यतिवम की दशा मे ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से जो पहले सप्ताह के पश्चात् के हर एक ऐसे सप्ताह के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है, **पांच रूपए** तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा : परंन्तु संकलित जुर्माना **पचास रूपये** से अधिक नहीं होगा।
मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2)	कोई भी व्यक्ति जो धारा 28 के अधीन अपेक्षित साधारण विवरण में जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि करेगा या कराएगा या उसमें कोई लोप करेगा या कराएगा या नियमों की या नियमों के परिवर्तनों की उस प्रतिलिपि में जो उस धारा के अधीन रजिस्ट्रार को भेजी गई हो कोई मिथ्या प्रविष्टि करेगा या करायेगा या उसमें लोप करेगा या करायेगा जुर्माने से जो **पांच सौ रूपये** तक का सकेगा, दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 32	कोई भी व्यक्ति जो रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के किसी सदस्य होने के आशय रखता है या होने के लिए आवेदन करता है। कोई ऐसी दस्तावेज प्रवंचना करने के आशय से देगा जो व्यवसाय संघ के नियमों की या उनमें किन्ही परिवर्तनों की एक प्रतिलिपि होनी तात्पर्यित है और जिसके बारे में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का कारण रखता है कि वह ऐसे नियमों या परिवर्तनों के शुद्ध प्रतिलिपि नहीं है। जो तत्समय प्रवृत्त है, या कोई भी व्यक्ति जो वैसे ही आशय से किसी व्यक्ति को किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नियमों कोई प्रति इस बहाने से देगा कि ऐसे नियम रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नियम से जो **दो सौ रूपये** तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 32 क	कोई नियोजक जो धारा 28–ज के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो **पांच सौ रूपए** तक का हो सकेगा।

उपाबंध

समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25)

मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1)	यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् कोई नियोजक, जिससे अधिनियम के अधीन ऐसा करने की अपेक्षा की गई है– (क) अपने द्वारा नियोजित कर्मकारों के संबंध में कोई रजिस्टर या अन्य दस्तावेज बनाए रखने में लोप करेगा या असफल रहेगा, अथवा (ख) कर्मकारों के नियोजन से संबंधित कोई रजिस्टर, मस्टर–रोल या अन्य दस्तावेज पेश करने में लोप करेगा या असफल रहेाग, अथवा (ग) कोई साक्ष्य देने में लोप करेगा या देने से इंकार करेगा या अपने अभिकर्ता, सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को, जो स्थापन का भार साधक है, या किसी कर्मकार को साक्ष्य देने से रोकेगा, अथवा (घ) कोई जानकारी देने में लोप करेगा या दोनों से इंकार करेगा, तो वह (सादा कारावास से, जिसकी अवधि ऐ मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो **दस हजार रूपए तक का हो सकेगा**, या दोनों से), दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2)	यदि इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात कोई नियोजक – (क) इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में कोई भर्ती करेगा, अथवा (ख) पुरूष और स्त्री कर्मकारों के बीच कोई विभेद इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में करेगा, अथवा (घ) समुचित सरकार द्वारा धारा 6 की उपधारा (5) के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करन में लोप करेगा या असफल रहेगा, तो वह (प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो **दस हजार** रूपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो **बीस हजार** रूपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगी, या दोनों से, और द्वितीय या पश्चात्वर्ती अपराधों के लिए कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा) दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3)	यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे ऐसा करने की अपेक्षा की गई है, निरीक्षक को कोई रजिस्टर या अन्य दस्तावेज पेश करने में या कोई जानकारी देने में लोप करेगा या इंकार करेगा तो वह जुर्माने से जो **पांच सौ** रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

उपाबंध

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11)

मूल अधिनियम की धारा 22	कतिपय अपराधों के लिए शास्तियां – जो कोई नियोजक – (क) किसी कर्मचारी को उसके काम के वर्ग के लिए नियत की गई मजदूरी की रकम की न्यूनतम दरों से कम या, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसे शोध्य रकम से कम देगा, अथवा (ख) धारा 13 के अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगा, या जुर्माने से जो **पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा**, या दोनों से दण्डनीय होगाः परन्तु न्यायालय, धारा 20 के अधीन की कार्यवाहियों में अभियुक्त के विरूद्ध पहले से ही अधिनिर्णीत किसी प्रतिकर की रकम को इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए जुर्माना अधिरोपित करने में ध्यान में रखेगा।
मूल अधिनियम की धारा 22 क	अन्य अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबंध – जो कोई नियोजक इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, वह यदि ऐसे उल्लंघन के लिए, इस अधिनियम द्वारा कोई भी अन्य शास्ति उपबंधित नहीं है तो, जुर्माने से जो **पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा,** दण्डनीय होगा।

उपाबंध

उपादान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39)

मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1)	जो कोई, किसी ऐसे संदाय से बचने के प्रयोजनार्थ जो उसे इस अधिनियम के अधीन करता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति ऐसा संदाय करने से बचाने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ जानबुझकर कर मिथ्या कथन अथवा व्यपदेशन करेगा अथवा करायेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि छह माह तक की हो सकेगी, अथवा जुर्माने से **दस हजार रूपये तक का हो सकेगा**, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा।
मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2)	वह नियोजक जो इस अधिनियम के उपबंधों अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आदेश का उल्लंघन करेगा, अथवा उसके अनुपालन में व्यतिक्रम करेगा वह कारावास से, जो कि तीन माह से कम का न होगा लेकिन जो एक वर्ष तक विस्तारित हो सकेगा या उस जुर्माने से जो **दस हजार रूपये** से कम नहीं होगा बल्कि जो बीस हजार रूपये तक विस्तारित हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा) : परन्तु जहां अपराध इस अधिनियम के अधीन संदेय उपदान के असंदाय से संबंधित है वहां नियोजक कारावास से जिसकी अवधि छह माह से कम की न होगी, दण्डनीय होगा, सिवाय तब के जब अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, उन कारणों से, जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जायेंगे, इस राय का हो कि कम अवधि के कारावास से या जुर्माने के अधिरोपण से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी।

उपाबंध

कतिपय श्रम विधियों के अधीन अपराधों का प्रशमन तथा विचारण का उपशमन

नया प्रावधान	(1) निम्नलिखित अधिनियमों अर्थात् :– (एक) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25); (दो) श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने से कतिपय स्थापनों को छूट) अधिनियम, 1988 (1988 का 51); (तीन) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11); (चार) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4); (पांच) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1976 (1976 का 11); (छह) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) (सात) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम,1970 (1970 का 37); (आठ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14); (नौ) अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30); (दस) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27); (ग्यारह) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39); (बारह) मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 (1961 का 53); (तेरह) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (1965 का 21); में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, – (क) इन अधिनियमों के अधीन प्रथम बार कारित किए गए अथवा पूर्व में कारित केवल जुर्माने से दण्डनीय किसी अपराध का, (यदि कोई हो), दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात्, अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् जुर्माने की अधिकतम राशि से अनधिक किन्तु अपराध के लिए अधिकतम जुर्माने के आधे से अन्यून प्रशमन शुल्क की ऐसी राशि वसूल करके जैसी कि वह उचित समझे, प्रशमन कर सकेगा, अथवा (ख) इन अधिनियमों के अधीन प्रथम बार कारित किए गए, कारित जुर्माने तथा तीन मास तक के कारावास से दण्डनीय अपराध का या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, एक मास तक के कारावास से दण्डनीय अपराध के लिए न्यूनतम रूपये 10000 के अध्यधीन रहते हुए अधिकतम जुर्माने की दस गुना के बराबर राशि, दो माह तक के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए रूपये 20000 अथवा तीन मास तक

	के कारावास से दण्डनीय अपराधों के लिए रूपये 30000 की राशि वसूल करके प्रशमन कर सकेगा. (2) अपराध का – (एक) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व, इस प्रकार प्रशमन हो जाने पर अपराधी अभियोजन का भागी नहीं होगा और यदि वह अभिरक्षा में है तो मुक्त कर दिया जाएगा; (दो) अभियोजन संस्थित हो जाने के पश्चात् इस प्रकार प्रशमन हो जाने पर प्रशमन के परिणाम स्वरूप अपराधी उन्मोचित हो जाएगा;

उपाबंध

विभिन्न प्रकार की पंजियों के संधारण तथा विभिन्न प्रकार की विवरणियां प्रस्तुत किए जाने छूट

नया प्रावधान	निम्नलिखित अधिनियमों अर्थात् :– (एक) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम,1970 (1970 का 37); (दो) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25); (तीन) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63); (चार) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14); (पॉच) अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का 30); (छह) श्रम विधि (विवरणी देने और रजिस्टर रखने के कतिपय स्थापनाओं को छूट) 1988 (1988 का 51); (सात) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11); (आठ) मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 (1961 का 27); (नौ) उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39); (दस) मजदूरी संदाय अधिनिमय, 1936 (1936 का 4); (ग्यारह) विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्ते) अधिनिमय, 1976 (1976 का 11); (बारह) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 (1926 का 16); (तेरह) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) (चौदह) मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 (1961 का 53) (पंद्रह) बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (1965 का 21) के उपबंधों के अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, उक्त अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अन्तर्गत विहित प्ररूपों के बदले में किसी नियोक्ता अथवा स्थापन द्वारा पंजियां तथा अभिलेख संधारित करने और विवरणियां प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप बना सकेगी अथवा अधिसूचित कर सकेगी : परन्तु राज्य सरकार, कम्प्यूटरीकृत अथवा डिजिटल फार्मेट में पंजियां और अभिलेख संधारित करने की अनुज्ञा दे सकेगी.

उपाबंध

प्रकीर्ण उपबंध

नया प्रावधान	(1) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्ववित करने के प्रयोजन से नियम बना सकेगी. (2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम उनके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे.
नया प्रावधान	(1) इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अन् असंगत ऐसे उपबंध बना सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हो. (2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.